



Neutral Citation No. - 2026:AHC:31390

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 598 वर्ष 2026

मोहम्मद तारिक

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता

: अनिल कुमार तिवारी

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय

1. याची की ओर से दायर अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर ग्रहण किया जाता है।
2. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार तिवारी तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री पंकज कुमार को सुना गया।
3. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहतों हेतु प्रस्तुत की गई है—

“(i) एक रिट, आदेश अथवा निर्देश, परमादेश के स्वरूप में जारी कर प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया जाए कि विवादित भूमि की प्रकृति में कोई परिवर्तन न किया जाए तथा पुनरीक्षण संख्या 5308 वर्ष 2024 (सैफ सरफराज अहमद बनाम मोहम्मद तारिक एवं अन्य) के लंबित रहने के दौरान किसी तृतीय पक्ष के अधिकार सृजित न किए जाएँ और उक्त भूमि पर कोई नवीन निर्माण न किया जाए;

(ii) वाद की परिस्थितियों में इस माननीय न्यायालय द्वारा उपयुक्त एवं उचित समझा जाने वाला कोई अन्य आदेश अथवा निर्देश पारित किया जाए;

(iii) याची के पक्ष में वाद व्यय प्रदान किया जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. याची के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दायर पुनरीक्षण संख्या 5308 वर्ष 2024, जिसमें याची को विपक्षी पक्षकार के रूप में पक्षकार बनाया गया है, वर्ष 2024 से प्रत्यर्थी संख्या 2, राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है। यह भी निवेदन किया गया कि पूर्व में याची द्वारा दायर रिट-बी संख्या 86 वर्ष 2026 को दिनांक 22.01.2026 के आदेश द्वारा इस निर्देश के साथ निस्तारित किया गया था कि राजस्व परिषद उक्त पुनरीक्षण का निर्णय दो माह की अवधि के भीतर करे। आगे यह भी निवेदन किया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा विवादित भूखंड पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप लंबित पुनरीक्षण में स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, तथापि राजस्व परिषद द्वारा अब तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना की गई कि प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया जाए कि पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान भूमि की प्रकृति में परिवर्तन न किया जाए तथा किसी तृतीय पक्ष का हित सृजित न किया जाए।

5. इसके विपरीत, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री पंकज कुमार का कथन है कि वर्तमान रिट याचिका ग्राह्य नहीं है, क्योंकि याची द्वारा पूर्व में दायर रिट याचिका को राजस्व परिषद को निर्देशित करते हुए निस्तारित किया जा चुका है कि वह पुनरीक्षण का निर्णय निर्धारित अवधि में करे।

6. मैंने याची के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

7. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दायर पुनरीक्षण संख्या 5308 वर्ष 2024 विगत दो वर्षों से अधिक समय से राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है। यह भी निर्विवाद है कि याची द्वारा पूर्व में दायर रिट-बी संख्या 86 वर्ष 2026 को दिनांक 22.01.2026 के आदेश द्वारा इस निर्देश के साथ निस्तारित किया गया था कि उक्त पुनरीक्षण का निर्णय दो माह की अवधि के भीतर किया जाए।

8. दिनांक 22.01.2026 का आदेश, जो इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया, अवलोकनार्थ प्रासंगिक है, जो निम्नवत् है—

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



“1. याची के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थागण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री पंकज कुमार को सुना गया।

2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित राहतों हेतु प्रस्तुत की गई है—

- (i) एक रिट, आदेश अथवा निर्देश, परमादेश के स्वरूप में जारी कर उत्तर प्रदेश, प्रयागराज स्थित राजस्व परिषद को निर्देशित किया जाए कि पुनरीक्षण संख्या 5308 वर्ष 2024 (सैफ सरफराज अहमद बनाम मोहम्मद तारिक एवं अन्य) का त्वरित रूप से तथा विधि के अनुसार, अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना, निस्तारण किया जाए;
- (ii) एक रिट, आदेश अथवा निर्देश, परमादेश के स्वरूप में जारी कर राजस्व परिषद को निर्देशित किया जाए कि उक्त पुनरीक्षण में याची द्वारा प्रस्तुत स्थगन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र पर विधि के अनुसार यथाशीघ्र, अधिमानतः समयबद्ध अवधि में, निर्णय किया जाए।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उपर्युक्त पुनरीक्षण, जो कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229-बी के अंतर्गत कार्यवाही से उत्पन्न हुआ है, प्रत्यर्था संख्या 2/राजस्व परिषद, प्रयागराज के समक्ष लंबित है। यह भी निवेदन किया गया कि उक्त पुनरीक्षण में अंतरिम आदेश प्रभावी है तथा प्रकरण की कार्यवाही तीव्र गति से संपन्न नहीं हो रही है, जिसे दर्शाने हेतु आदेश-पत्र की प्रति परिशिष्ट संख्या 5 के रूप में संलग्न की गई है।

4. प्रकरण के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना तथा परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रत्यर्था संख्या 2/राजस्व परिषद, प्रयागराज को निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, विधि के अनुसार, यथाशीघ्र, अधिमानतः दो माह की अवधि के भीतर, उक्त पुनरीक्षण का निर्णय करे, बशर्ते इस आदेश की प्रमाणित प्रति उसके समक्ष प्रस्तुत की जाए।

5. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।”

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. चूँकि याची द्वारा पूर्व में दायर परमादेश की रिट याचिका पहले ही इस निर्देश के साथ निस्तारित की जा चुकी है कि लंबित पुनरीक्षण का निर्णय निर्धारित अवधि में किया जाए, अतः वर्तमान रिट याचिका, जिसमें समान प्रकृति की राहत मांगी गई है, ग्राह्य नहीं है, विशेषकर तब जब उक्त पुनरीक्षण, जो दो वर्षों से अधिक समय से लंबित है, के निस्तारण हेतु पहले ही निर्देश पारित किया जा चुका है।

10. प्रकरण में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

11. तदनुसार, रिट याचिका **निरस्त** की जाती है।

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

दिनांक : 12 फरवरी 2026

नीतू

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”